

2020/08192

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
18/20	212 RTA	कोल्होखंडी खोपर	दुर्गा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
शूलचंद	बनाम	श्रीतरसिंह	

वकील :- रमेश चौधरी

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

7/20

अभिभाषक प्राणी द्वारा प्राणी पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विच्छेद अप्राणीकरण के इस आधार पर मेरा किया रिपोर्ट सारिस्ता को अवलोकन किया। प्रमाणित प्राणी को एक पक्षी में बदल सुनि गई। प्रतीक को अवलोकन किया ग्राम खोपर तहसील दुर्गा में खोला संख्या 58 के रक.न. 365/2 रकवा 0.03 की धारा भूमि पर पत्रक पेश होने तक मेरा एक रिकार्ड को सथासिती करने रहने हेतु अप्राणीकरण को संधारण आस्थाती निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। प्रमाण दर्ज मजिस्ट्रेट किया जाके तथा अप्राणीकरण को परिण सभन तलन कर पक्षीकली दिनांक 1/6/20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला-बारां

01/6/20

कोरोना संक्रमण के कारण अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29.1.20 को पेश हो।

[Signature]
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

01/9/20

अन्य कार्य के कारण अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29.1.20 को पेश हो।

[Signature]
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

